ith;u Øekd % 346/SHR/66

fnb';kjl ,Elykbt ØfMV dk&vkijfVo lkl;Vh fyfeVM]Hkkiky

ithdr dk;ky; %Hkkjrh; thou chek fuxe] e.My dk;ky; ifjlj] 60&,] vjjk fgYl] ty jkM] Hkkiky ¼e-i-½

oclkbV % www.ieccsbpl.com, b&ey ieccsbhopal2015@gmail.com Qku 0755-2558388

दिनांक : 07.09.2019

35oh vke lHkk lpuk&i«k

आदरणीय सदस्य आपको सूचित किया जाता है कि संस्था की विशेष आम सभा शनिवार, दिनांक 28.09.2019 को निम्न कार्यसूची अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम मंडल कार्यालय परिसर, 60–ए अरेरा हिल्स, भोपाल में प्रातः 11.00 बजे से प्रारंभ होगी।

dk;lph

1 पिछली आम सभा दिनांक 22.09.2018 की कार्यवाही का वाचन एवं स्वीकृति प्रदान करना।

2 वर्ष 2018–19 के वित्तीय पत्रकों का वाचन एवं अनुमोदन।

3 वर्ष 2018–19 के लाभ का विभाजन एवं अनुमोदन।

4 वर्ष 2019–20 के संपरीक्षा हेतु विभागीय अंकेक्षक/सनदी लेखापाल से संपरीक्षा करने बावत्।

5 वर्ष 2020–21 के अनुमानित बजट का अनुमोदन।

6 वर्ष 2020–21 के वार्षिक कार्य योजना व विचार एवं अनुमोदन।

7 डूबत ऋण राशि एवं डिफाल्टर सदस्यों की राशि व कार्यवाही पर चर्चा।

8 अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विशेष

सदस्यों से अनुरोध है कि आम सभा में रखे जाने वाले अपने लिखित सुझाव 23.09.2019 से पूर्व संस्था कार्यालय में प्रस्तुत करें। निर्धारित कोरम पूर्ण न होने पर सभा स्थगित की जाकर उसी स्थान पर 30 मिनट बाद पुनः प्रारंभ होगी।

कृपया अवश्य उपस्थित हों।

समस्त कार्यकारिणी की ओर से

अध्यक्ष

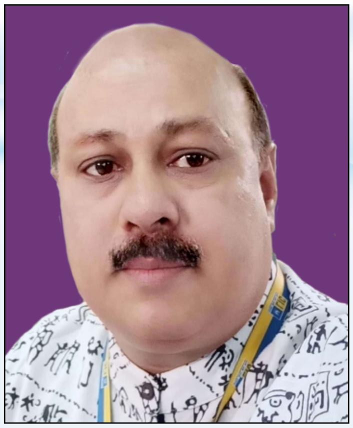

In'k

प्रिय सदस्यगण ,

यह अत्यंत हर्ष और सौभाग्य का विषय है कि संस्था की 35 वीं वार्षिक आमसभा में आप सभी के समक्ष वित्तीय वर्ष 2018–19 का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है ।

यह वार्षिक प्रतिवेदन, 2018–19 निधि को इंगित करता है एवं अपने संख्यात्मक आंकडों की वृद्धि से संस्था की जमा तथा ऋण राशि में निरंतर वृद्धि को इंगित करता है। वर्षातं तक संस्था के पास सावधि जमा के रूप में राशि 9,00,61,600/– व अल्पावधि / आवर्ती जमा योजना के अंतर्गत 1,44,69,500/– राशि के साथ कुल जमा 10,45,31,100/– रहा तथा ऋण राशि रु. 16,33,26,278/– रही जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में संस्था की एक उपलब्धि है ।

निगम में अनेक वर्षों से नियुक्तियाँ न होने के बावजूद संस्था की सदस्य संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है मार्च 2019 तक 1085 हो गई है जो की संस्था की नियमित गति का द्योतक है ।

संस्था अपने सामाजिक व आर्थिक विकास के उद्धेश्य को लेकर निरंतर क्रियाशील है तथा अनेक आयामों पर विभिन्न गतिविधियों तथा विविध मंचों के माध्यम से संलग्न हैं।

वर्तमान कार्यकारणी के कार्यकाल का यह अंतिम वर्ष है, वर्ष 2015 जनवरी से लगातार कार्यकारणी द्वारा अपनी संस्था व सदस्य हित में अनेक निर्णय लेकर संस्था को गतिशीलता प्रदान की है। वर्षों से लम्बित यू.टी आई / केनेरा रेबोको /एल आई.सी.म्यूच्यूअल फण्ड के शेयर भुनाकर लगभग 64,17,996/– राशि प्राप्त की गई ।इस राशि से सदस्यों के हित में 3000/– का त्री– वर्षीय फिक्स डिपाजिट प्रति सदस्य कुल 30,81,000/– के जारी किये गए जो की माह दिसम्बर 19 में सदस्यों को लाभ के साथ भुगतान योग्य हो रहे है।

संस्था द्वारा सदस्यों को बल्क मैसेज के माध्यम से सूचना देने के साथ–साथ ऋण एवं जमा भुगतान का विवरण भी पंजीकृत मोबाइल पर भेजना आरम्भ किया गया है। संस्था की वेबसाईट अपने नए रूप में संस्थागत सूचनाओं तथा योजनाओं के साथ www.ieccslbpl.com आरंभ की जा जुकी है जिसमे सदस्यों को संस्थागत गतिविधियों की जानकारी के साथ विभिन्न ऋण योजनाओं की सूचना, विभिन्न प्रकार के आवेदन डाउनलोड करने की सुविधा उपलब्ध होगी ।

संस्था अपनी सदस्य संख्या व लाभांश में वृद्धि के लिए निरंतर प्रगतिशील है, तथा नवीन लक्ष्यों को प्राप्त कर सदस्यों के सहयोग से राष्ट्र व समाज के निर्माण में सहभागी बनने की आकांक्षा रखती है ।

मैं, हमारी संस्था के सदस्यों से अपील करता हूँ , कि वे संस्था के कार्यों , उद्धेश्यों तथा गतिविधियों का सम्प्रेषण निगम कार्यालय में करे ताकि और अधिक से अधिक सदस्यों को जोडकर विकास की गंगा को अधिक तत्परता से प्रसारित किया जा सके।

मैं निदेशक मंडल की तरफ से सभी सदस्यों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। आप सभी से निरंतर मिले सहयोग व विश्वास से हम स्वयं को निरंतर उर्जावान , अनुभव करते है, जो की संस्था को नई उचाईयों पर ले जाने की प्रेरणा हमें देता है।

समस्त निदेशक मंडल की ओर से शुभकामनाओं के साथ ।

धन्यवाद

समस्त कार्यकारणी की ओर से

भोपाल

दिनांक : 28 सितम्बर 2019

संजय कुमार तिवारी

अध्यक्ष

प्रतिवेदन

सम्मानीय सदस्यगण,

संस्था की इस 35 वीं वार्षिक आमसभा में आप सभी का स्वागत है । आज की इस आमसभा को आरम्भ करने से पूर्व भारतीय जीवन बीमा निगम, ओरिएन्टल इन्श्योरेंस कंपनी के वे सभी साथी जो अचानक हमारा साथ छोड़ कर चले गए उन सभी के निधन पर गहरा दु:ख व्यक्त करते हुए यह सदन उन सभी साथियों को विनम्र श्रृद्धांजलि अर्पित करता है ।

'kkd J)katfy

l-Ø-	Lo-lnL; dk uke	'kk[kk dk;ky;	eR; fnukd
1	स्व.श्री छबीले राम अहिरवार	मण्डल कार्यालय भोपाल	11.07.2018
2	स्व.श्री जयेन्द्र कुमार ठाकुर	मण्डल कार्यालय भोपाल	20.07.2018
3	स्व.श्री अनिल कुमार जैन	ओ.इ.क.लि. मण्डल कार्या.–1	04.10.2018
4	स्व.श्री ओम प्रकाश साहू	ओ.इ.क.लि. मण्डल कार्या.–1	15.12.2018
5	स्व.श्री प्रदीप राय	शाखा कार्या–रायसेन	04.03.2018
6	स्व.श्री बलराम शेखावत	शाखा कार्या–होशंगाबाद	02.03.2018

संस्था लगातार आप सभी के सहयोग व मार्गदर्शन से अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अग्रसर है। गत् वितीय वर्ष 01.04.18 से 31.03.19 का लेखा–जोखा, संस्थागत गतिविधियाँ एवं पूर्व आम सभाओं में स्वीकृत प्रस्तावों एवं उनके क्रियान्वयन के विवरण के साथ यह प्रतिवेदन आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। संस्था एक और समाज के प्रति अपने उतरदायित्व को पूर्ण करने में सफल रही है वहीं दूसरी और संस्थागत पूँजी में वृद्धि के लिए नवीन योजनाओं को आप सभी के सहयोग से क्रियान्वयन के लिए प्रयत्नशील है ।

भारतीय समाज में लगातार बढ़ रही हिंसा और महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए अत्याचार पर यह सदन गहरी चिंता व्यक्त करता है। साथ ही मध्य प्रदेश में अतिवृष्टि एवं उससे हुए नुकसान की जन–जन तक शीघ्र भरपाई के लिए केन्द्र व राज्य सरकार से अनुरोध करता है ।

गत आमसभा 22 सितम्बर 2018 में सदन एवं कार्यकारिणी की ओर से प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों को नियमानुसार योजनाबद्ध तरीके से आरम्भ करने में कार्यकारिणी सफल रही है ।

1. कार्यालय से एल.टी.सी. की सुविधा प्राप्त करने वाले सदस्यों तथा उनके परिवारजनों के लिए विभिन्न सुविधाओं के साथ देश के लगभग 100 शहरों/हिल स्टेशन पर उचित दाम पर होटल अनुबंधित कर लिए गए हैं। जिसमे, एयर पोर्ट, रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से पिक–अप एंड ड्राप की सुविधा भी न्यूनतम भुगतान के साथ अनुबंधित की गई है। अनेक साथी इस सुविधा का लाभ उठा चुके है व इनके फीडबेक अत्यधिक संतोषजनक रहे है। अनुबंधित संस्था व होटल की विस्तृत जानकारी सदस्यों को iecsbuo.com लिंक पर प्राप्त हो सकती है। सदस्यों की सुविधा व अधिक जानकारी के लिए कार्यकारणी द्वारा प्रत्येक मंगलवार–शुक्रवार को अधिकृत संस्था के प्रतिनिधि की सोसाइटी कार्यालय में दोपहर 12 बजे से 3.00 बजे तक उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। संस्था कार्यकारणी सभी सदस्यों उनके परिवारजनों से अनुरोध करती है कि भोपाल शहर से बाहर जाने पर इस सुविधा का लाभ अवश्य उठायें व अपने अनुभवों के आधार पर हमें मार्गदर्शन प्रदान करे जिससे इस सुविधा व सेवा को और बेहतर बनाया जा सके।

उर्जा के प्राकृतिक स्त्रोतों के उपयोग को लेकर गत आमसभा द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति पर, भारत सरकार उर्जा मंत्रालय द्वारा अधिकृत मापदंडों के आधार पर संस्थाएं अधिकृत की गई है। जो की शासकीय सब्सिडी के बाद एक किलोवाट से पांच किलोवाट तक के सोलर पैनल सदस्य की आवश्यकता व घरेलु लोड के अनुसार स्थापित करेंगी। इसके अंतर्गत पैनल, नेटमीटर, इनवर्टर व अन्य सामग्री सम्मिलित होगी। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल से पूर्व स्वीकृति भी अधिकृत संस्था के माध्यम से प्राप्त की जाएगी।

प्राकृतिक उर्जा के इस स्त्रोत के उपयोग से घरेलु बिजली के बिल में 60-70 प्रतिशत की कमी आ सकती है। भोपाल जैसे शहर या में जहाँ बिजली की कटौती कम समय के लिए होती है , ऐसे स्थानों पर विशेषज्ञों की राय के अनुसार आन-ग्रिड सिस्टम लगाना श्रेयस्कर होता है। एक किलोवाट के पैनल के लिए घर की छत पर लगभग 150 वर्ग फीट की अवश्यकता होगी। कितने किलोवाट की आवश्यकता व स्थान अधिकृत संस्था के इंजीनयर द्वारा विजिट कर सुझाया जायेगा। सिस्टम पैनल से उत्पादित बिजली नेट मीटर के माध्यम से सीधे म.प्र.वि. मंडल के ग्रिड में जायेगी। माह के अंत में म.प्र.वि. मंडल द्वारा लगाये गए नेट मीटर की दोनों रीडिंग म.प्र.वि. मंडल द्वारा प्रदाय बिजली व सौर ऊर्जा के माध्यम से उत्पादित, के अंतर का बिल भुगतान योग्य होगा। पैनल की गारंटी 25 वर्षो की व इन्वर्टर की 5-7 वर्ष की अनुबंधित की गई है। आंकलन के अनुसार एक किलोवाट के पैनल से पर्याप्त उजाला होने पर सुबह से शाम तक लगभग 6-9 यूनिट तक बिजली का उत्पादन प्रतिदिन हो सकता है, जिससे मासिक उत्पादन व बचत का आंकलन किया जा सकता है। सभी व्यय व सब्सिडी के बाद उत्कृष्ट स्वीकृत मापदंड की सामग्री के बाद प्रति किलोवाट के पैनल का विवरण कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। सदस्यों की सुविधा के लिए तथा प्राकृतिक ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए संस्था कार्यकारणी द्वारा दो लाख रु. तक का ऋण 'सौर ऊर्जा ऋण' के नाम से आरम्भ किया गया है। जिसमे ब्याज दर वर्त्तमान जारी ब्याज दर 11% में कमी करते हुए 9.50% रखी गई है। जिसकी अवधी 5 वर्ष होगी। इससे अधिक राशि की आवश्यकता होने पर प्रत्येक एक लाख पर ब्याज दर 10% निर्धारित की गई है। सदस्यों से अनुरोध है अपनी घरेलु बचत व प्राकृतिक ऊर्जा के उपयोग व ग्रामीण क्षेत्रों में परम्परागत बिजली के लगातार प्रवाह को दृष्टिगत रखते हुए देश व समाज हित में इस योजना का लाभ अवश्य उठायें। इसी प्रक्रिया के अंतर्गत गरम पानी की सुविधा के लिए सोलर गीजर स्थापन की भी स्वीकृत की गई है। कार्यकारणी सभी सदस्यों से अनुरोध करती है कि इस प्रस्ताव को अंतिम स्वीकृति प्रदान करें।

सदस्यों के दो-पहिया, चार पहिया वाहन बीमा योजना के अंतर्गत प्रस्ताव आई आर डी ए की और कॉर्पोरेट एजेंसी हेतु भेजा गया है। प्रस्ताव स्वीकृति के बाद सदस्यों के वाहनों के समय पर बीमा हो यह कार्य गाडी का डेटा मिलने के उपरांत सोसाइटी द्वारा किया जायेगा। इससे सदस्यों को सुविधा के साथ विशेष रियायत भी मिलेगी साथ ही संस्था की आमदनी का एक नया मार्ग खुलेगा।